बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील के प्रस्तुत प्रा० पत्र पर तलब की गयी। प्रार्थिया जरिये वकील के प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद-पत्र में मन वादिया ने। विवादित आराजी के अपने शौहर पक्ष के स्वाह हक हकूक अपने पिता सत्यवीर यादव के हक में समर्पित कर दिये है अपना हक त्याग कर दिया है। अब मन वादीया उक्त वाद-पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। तथा वाद-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहती है। वाद-पत्र को विक्षेप / नोट प्रेस के रूप में स्थगित अदमपैरवी जोक किया करें। हमारे द्वारा वकील प्रार्थिया को सुना गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी भवेश

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

पत्र को नोट-प्रेस में स्थापित करवाना चाहती है। वर्तमान में पत्रावली में पक्षकारान की तलबी नहीं हुयी है न ही प्रतिवादी की ओर से कोई उप० है। जिस सूरत में हम उक्त वाद-पत्र को आगे चलाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार कर वाद-पत्र को नोट-प्रेस में स्थापित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुद होकर नम्बर से कम हो। वाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़(कोटपूतली-बहरोड़)